

Office of The C.E.O. & Dean
Shyam Shah Medical College, Rewa (M.P.)

Phone No. 07662-241655

Email- deanmcrewa@rediffmail.com

Fax No. 07662-241655

Website- www.ssmcrewa.com

D.No. 20/107 /Estt./Gazz./M.C./Advt./2023

Rewa, Dated: 21/8/23

//ADVERTISEMENT//

Under the rules of the "Madhya Pradesh Super Speciality Hospital Chikitsa Adarsh Seva Niyam-2018" and "Madhya Pradesh Swasashi Chikitsa Mahavidyalaya Chikisakiya Seva Adarsh Niyam-2018", Super Speciality Hospital, Rewa associated with S.S. Medical College, Rewa (M.P.), Invites Applications for various vacant posts (with backlog) of teaching cadre through direct recruitment. The details are as follows :-


S. No.	Subject	Professor				Associate Professor				Assistant Professor			
		UR	OBC	ST	SC	UR	OBC	ST	SC	UR	OBC	ST	SC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Anaesthesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2.	Anaesthesia (CVTS)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
3.	Anaesthesia (Neurosurgery)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
4.	Neurology	1	1	1	-	1	1	1	-	3(1F)	1	1	1
5.	Neurosurgery	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1
6.	Electrophysiology Cardiology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7.	Paediatric Cardiology	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
8.	Interventional Cardiology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
9.	Nephrology	1	1	1	-	-	1	1	-	2	2*	1	1
10.	Urology	1	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-
11.	Neonatology	1	1	1	-	1	1	1	-	3(1F)	1	1	1
12.	Cardiac Surgery	1	1	1	-	-	1	1	-	2	1	1	1
13.	Radiodiagnosis	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
Total		11	6	6	-	6	6	6	-	14	12	8	5

- *Post Can be Increase and decrease.

Last date for Submission of Application Form	10.09.2023, till 05:00 PM
Address to send Application Form	Office of C.E.O. & Dean, Shyam Shah Medical College, Near Dhobiya Tanki, Jail Road, Rewa (M.P.), 486001.

- Application fee as DD in favour of "CEO & Dean SSMC Rewa" payable at Rewa for UR Candidates in Rs. 1000/- and Rs. 750/- for reserved category candidates.
- Information of regarding interview dates shall be communicated 07 days prior to the candidates.


For details of advertisement, application form and selection process keep in touch with www.ssmcrewa.com


(Dr. Manoj Indurkar)
C.E.O. & DEAN
S. S. Medical College, Rewa (M.P.)

सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा में चिकित्सा शिक्षकों के चयन की कार्यवाही हेतु

चयन के मापदण्ड

1. एम.सी.आई/एन.एम.सी. द्वारा मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिकतम 10 अंक, (प्रति अतिरिक्त प्रयास 01 अंक घटाया जावेगा।
2. एम.सी.आई/एन.एम.सी. द्वारा मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से पी.जी. डिग्री- एम. डी./एम.एस./डी.एन.बी. (एम.डी./एम.एस. के समतुल्य माने गये) हेतु 15 अंक, (प्रति अतिरिक्त प्रयास 02 अंक घटाया जावेगा।
3. एम.सी.आई/एन.एम.सी. द्वारा मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से सुपर स्पेशलिटी डिग्री— डी.एम./एम.सी.एच./डी.एन.बी. अतिविशेषज्ञता हेतु अधिकतम 30 अंक, (प्रति अतिरिक्त प्रयास 05 अंक घटाया जावेगा।
4. **शैक्षणिक अनुभव हेतु अंकों का निर्धारण :-**
सहायक प्राध्यापक के पद हेतु - डी.एम./एम.सी.एच./डी.एन.बी. अतिविशेषज्ञता डिग्री उपरांत आवेदित पद हेतु एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक अनुभव के अतिरिक्त, एम.सी. आई./एन.एम.सी. द्वारा मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से प्रति 01 पूर्ण वर्ष के शैक्षणिक अनुभव हेतु 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)
सह-प्राध्यापक के पद हेतु - एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक अनुभव के अतिरिक्त, सहायक प्राध्यापक एवं उच्च पद के रूप में एम.सी.आई./एन.एम.सी. द्वारा मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य करने पर प्रति 01 पूर्ण वर्ष के शैक्षणिक अनुभव हेतु 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)
प्राध्यापक के पद हेतु - एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक अनुभव के अतिरिक्त, सह-प्राध्यापक एवं उच्च पद के रूप में एम.सी.आई./एन.एम.सी. द्वारा मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य करने पर प्रति 01 पूर्ण वर्ष के शैक्षणिक अनुभव हेतु 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)
5. संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम 6 माह के फैलोशिप हेतु 05 अंक।
6. **रिसर्च पब्लिकेशन हेतु अंकों का निर्धारण :-**
सहायक प्राध्यापक के पद हेतु - सुपर स्पेशलिटी विषय के प्रशिक्षण अवधि अथवा उसके पश्चात् संबंधित पद हेतु एम.सी.आई./एन.एम.सी. के निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मापदंड के अतिरिक्त प्रति पब्लिकेशन 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)
सह-प्राध्यापक के पद हेतु - संबंधित पद हेतु एम.सी.आई./एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मापदंड के अतिरिक्त प्रति पब्लिकेशन 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)
प्राध्यापक के पद हेतु - सह-प्राध्यापक एवं उच्च पद की अवधि के दौरान एम.सी.आई./एन.एम.सी. के निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मापदंड के अतिरिक्त प्रति पब्लिकेशन 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)
7. साक्षात्कार हेतु 20 अंक।



(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा (म.प्र.) में प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के सीधी भर्ती के माध्यम से पदों की पूर्ति संबंधी आवश्यक विवरण

1. वेतनमान:-

नियमित नियुक्ति हेतु

प्राध्यापक	-	3.00 लाख रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन
सह-प्राध्यापक	-	2.50 लाख रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन
सहायक प्राध्यापक	-	1.50 लाख रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन

टीप:- प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक की वार्षिक वेतनवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी।

2. आयु सीमा:-

प्राध्यापक पद हेतु

न्यूनतम - 35 वर्ष

सह-प्राध्यापक पद हेतु

न्यूनतम - 30 वर्ष

सहायक प्राध्यापक पद हेतु

न्यूनतम - 25 वर्ष

3. आरक्षण:-

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ म.प्र. के मूल निवासी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

नोट:- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

4. अर्हतायें:-

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण) स.क्र. 103, भाग-- III खण्ड 4, दिनांक 14 फरवरी, 2022 में प्रकाशित चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम, 2022 के अनुसार रहेंगी।

5. निरर्हताएं:-

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह संबंधी- जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख, फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

क्रमशः पेज...02

- 5.7 कदाचरण संबंधी -- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 5.8 ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 5.9 स्वास्थ्य संबंधी -- चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

6. सामान्य शर्तें:-

- (i) चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।
- (ii) महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित पदों पर महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पद उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकेगा।
- (iii) स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो, सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
- (iv) किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को सुपर स्पेशलिटी, अस्पताल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय/ शासकीय सेवा से त्याग पत्र देना होगा।
- (v) चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथ समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
- (vi) निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जावेगी। निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय किये जाने तक राज्य शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारी की भांति गृह भाड़ा भत्ता दिया जावेगा।
- (vii) आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष, जो भी पहले हो, तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय/सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 06 माह के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा/सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमा करनी होगी।
- (viii) साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 04 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताये सेवा समाप्त कर सकेगी।
- (ix) चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्राइवेट प्रैक्टिस) पूर्णतः निषेध है।
- (x) सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षकों को एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्य आधारित निम्न पारिश्रमिक दिया जायेगा।
अ. चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गयी शल्य क्रिया तथा इंटरवेंशन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत।
ब. चिकित्सा शिक्षक द्वारा पेड ओ.पी.डी. में देखे गये मरीजों से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत।
- (xi) अवकाश, आचरण एवं अधिवार्षिकीय आयु के संबंध में म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 के साथ-साथ सिविल सेवा नियम, 1965 भी लागू होंगे।
- (xii) चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के 01 माह के भीतर म.प्र. मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
- (xiii) चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

क्रमशः पेज...03

7. **आवेदन शुल्क:**— अनारक्षित श्रेणी से रू. 1000/— तथा आरक्षित श्रेणी अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से रू. 750/— का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, (CEO & DEAN SSMC REWA) श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के नाम से देय होगा। आवेदन के साथ संलग्न करें। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:**— स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 10.09.2023 सायं 05:00 बजे निर्धारित की जाती है। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं।
9. **महत्वपूर्ण टीप:**— यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समय अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक.....

पृ.क्र...../स्था./राज./एम.सी./2023
प्रतिलिपि:—

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
3. स्थानीय कार्यालय, लेखा शाखा।
की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)